भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2572
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2572. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री विजय कुमार दुबे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;
(ख) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत चलाई जा रही घटक योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत उप-योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि का वितरण किस प्रकार किया गया है;
(घ) क्या मंत्रालय ने उप-योजनाओं के कार्यकरण का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित इसके अंतर्गत तैयार किए गए मॉडल के प्रकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ख): केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए 14वें वित्त आयोग चक्र हेतु 6000 करोड़ रुपये और 15वें वित्त आयोग चक्र हेतु 4600 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है । पीएमकेएसवाई की निम्नलिखित घटक योजनाओं के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है:

- मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपी योजना)
- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना)
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना का निर्माण (एपीसी योजना)
- खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना)
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (सीबीएफएल योजना)
- ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना)
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना – गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) की स्थापना/उन्नयन
- मानव संसाधन एवं संस्थान (एचआरआई)

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत कुल 6067.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है; पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में स्वीकृत धनराशि के वितरण का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं नामतः एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार योजना, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए अवसंरचना निर्माण योजना और मानव संसाधन और संस्थान योजना - पीएमकेएसवाई का कौशल विकास और अनुसंधान, के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के संबंध में किए गए अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है।

(च) : पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं**,** जिनके आधार पर प्रस्तावों की जांच की जाती है और उसके बाद योग्यता के आधार पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। इसके अलावा**,** पीएमकेएसवाई मांग आधारित है और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके अपनी घटक योजनाओं के तहत प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध- I

"पीएमकेएसवाई को आवंटन" के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2572 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत स्वीकृत की गई अनुदान सहायता के रूप में धनराशि का विवरण

क्र.सं.	**घटक योजना**	**स्वीकृत की गई अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**
1.	एमएफपी योजना	453.84
2.	कोल्ड चेन योजना	1886.17
3.	एपीसी योजना	629.33
4.	सीईएफपीपीसी योजना	1987.77
5.	एफटीएल योजना	229.02
6.	ओजी योजना	678.27
7.	सीबीएफएल योजना	167.90
8.	एचआरआई योजना	35.17
	कुल	**6067.47**

अनुबंध - II

"पीएमकेएसवाई को आवंटन" के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2572 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के लिए किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों का विवरण

क्र.सं.	पीएमकेएसवाई की उप-योजना	उस एजेंसी का नाम जिसने प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है	अध्ययन का वर्ष	अध्ययन का परिणाम
1.	**मेगा फूड पार्क (एमएफपी)**	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	2020-21	कई कमियों पर प्रकाश डाला और संकेत दिया कि योजना वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी। योजना की समीक्षात्मक समीक्षा करने और महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ पुनः लॉन्च करने की अनुशंसा की गई । विकल्पतः, एक नई योजना तैयार करें (उद्योग और अन्य हितधारकों के परामर्श से) जो मौजूदा मेगा फूड पार्क परियोजनाओं का पूरक हो और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने में तेजी लाए ।
2.	**एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला)**	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	2017	यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने में सफल रही है। एमओएफपीआई की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना भारत सरकार की सफल योजनाओं में से एक है और सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद है।
3.	**कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना के विकास का निर्माण (एपीसी)**	स्वतंत्र समिति द्वारा एक डेस्क अनुसंधान/आंतरिक समीक्षा आयोजित की गई थी	2020-21	अध्ययन में योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई
4.	**खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी)**	एक स्वतंत्र समिति द्वारा एक डेस्क अनुसंधान/आंतरिक समीक्षा आयोजित की गई थी	2020-21	अध्ययन में योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई
5.	**खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफटीएल)**	यस बैंक लिमिटेड	2019	अध्ययन ने सुचारू कार्यान्वयन के लिए पीएमए की नियुक्ति के साथ योजना को जारी रखने की सिफारिश की।
6.	**मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास (एचआरआई-आर एंड डी)**	मेसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम प्रा. लिमिटेड	2020	अध्ययन में योजना को जारी रखने की सिफारिश की गई
7.	**मानव संसाधन एवं संस्थान-कौशल विकास**	एक स्वतंत्र समिति द्वारा एक डेस्क अनुसंधान/आंतरिक	2019	कार्यान्वयन कार्यक्रम को योजना दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।

	(एचआरआई-एसडी)	समीक्षा आयोजित की गई थी		योजना के कार्यान्वयन में राज्य कौशल मिशनों को बड़ी भूमिका दी जाय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संभावित समूहों की पहचान की जाय और एफपीआई के ऐसे समूहों को कुशल जनशक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समूहों के स्थान पर या उसके निकट कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय। खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में, कम से कम प्रमुख क्षेत्रों में, कुशल जनशक्ति की भविष्य की आवश्यकता का आकलन किया जाय। खाद्य प्रसंस्करण कौशल क्षेत्र में कौशल अंतर का भी आकलन किया जाय।